संख्या–1065 /XVIII-(2)/18-12(4)/2013 TC-1

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 19 अप्रैल, 2018

विषयः– जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट अंतर्गत ग्राम कुँवारी के तोक बैगुनी में भूस्खलन से प्रभावित 18 परिवारों को आगामी 06 माह हेतु किराये की धनराशि आवंटित किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–857/तेरह–सी.आर.ए./दै0आ0–किराया/2017–18, दिनांक 10 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट अंतर्गत ग्राम कुँवारी के तोक बैगुनी में भूस्खलन से प्रभावित 18 परिवारों को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 06 माह के लिये किराये की धनराशि आवंटित किये जाने हेतु प्रति प्रभावित परिवार प्रति माह ₹ 4,000/– की दर से कुल ₹ 4.32 लाख (₹ चार लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. उक्त किराया भत्ता इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि जिलाधिकारी द्वारा यह पुष्टि कर ली जायेगी कि किराया भत्ता प्राप्त कर रहे परिवार किराये के मकान में निवासरत् है।
2. उक्त लाभ केवल इन्हीं प्रभावित परिवारों को अनुमन्य होगा तथा ऐसे समान प्रकरणों में इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं लिया जा सकेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत मदों में ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का तत्काल उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह दिनांक 31.03.2019 तक अथवा उससे पूर्व शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
6. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–102–02–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–10 मतदेय/XXVII(5)/2018, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– (1)/XVIII-(2)/18-12(4)/2013 TC-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
7– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव